वेतन बोर्ड

1950 और 60 के दशकों में जब संगठित श्रम क्षेत्र अपने विकास की आरंभिक अवस्था में उसके पास पर्याप्त संघ थे अथवा ऐसे संघ भी थे जिनमें समझौता कर पाने वाली पर्याप्त शक्तियां नहीं थी, सरकार ने ऐसी समझौता कर पाने वाली शक्तियों के अभाव में वेतन निर्धारण के क्षेत्र में तत्कालीन समस्याओं पर विचार करते हुए विभिन्न वेतन बोर्डों का गठन किया । वेतन बोर्ड का गठन त्रिपक्षीय स्तर का है जिसमें कामगारों, नियोक्ताओं एवं स्वतंत्र सदस्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं तथा अनुशंसाओं को अंतिम रूप देते हैं । वर्तमान परिपेक्ष्य में ऐसे बोर्डों की उपयोगिता तथा उनके द्वारा किए जा रहे योगदान पर प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। पत्रकार तथा गैर पत्रकार समाचार पत्र तथा समाचार ऐजेंसी कर्मचारियों के लिए गठित वेतन बोर्डों को छोड़कर जो कि सांविधिक बोर्ड है अन्य सभी वेतन बोर्ड असांविधिक प्रकृति के हैं । अतः इन वेतन बोर्डों द्वारा की गई अनुशंसाएं कानून के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं हैं ।

2. समय के साथ-साथ असांविधिक वेतन बोर्डों का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया तथा 1966 के बाद चीनी उद्योग को छोड़कर जहां ऐसे अंतिम बोर्ड का गठन 1985 में किया गया था, किसी अन्य असांविधिक वेतन बोर्ड का गठन नहीं किया गया है । इन उद्योगों में ट्रेड यूनियन शक्तिशाली होती हुई उभरी तथा वे प्रबन्धन के साथ समझौता करने हेतु सक्षम हैं । इस प्रवृति के भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है ।

3. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) (संक्षेप में अधिनियम) में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 9 तथा 13 ा में, अन्य बातों के साथ-साथ, श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन के लिए क्रमशः दो वेतन बोर्डों के गठन का प्रावधान है। केन्द्र सरकार, जब कभी आवश्यक हो, वेतन बोर्ड गठित करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) समाचार पत्र स्थापनाओं के संबंध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;
(ख) इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति तथा धारा 13 ा के अंतर्गत वेतन बोर्ड हेतु गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(ग) चार स्वतंत्र व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो और जिसे सरकार द्वारा वेतन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

4. 1955 से, सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए नियमित अंतरालों पर 5 वेतन बोर्ड गठित किए हैं । निम्नलिखित तालिका में मजदूरी बोर्डों के गठन संबंधी ब्यौरे तथा अन्य संगत ब्यौरे दिए गए हैं।

विगत में श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों का गठन

क्रम संख्या	**वेतन बोर्ड का नाम**	**वेतन बोर्ड की नियुक्ति की तिथि**	**सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि**	**सरकार द्वारा अनुशंसाएं स्वीकार करने की तिथि**	**अभ्युक्ति**
I	श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	02-05-1956	उ.न.	10-05-1957	-
II	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	12-11-1963	17-07-1967	27-10-1967	-
	(ख) गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	25-02-1964	17-07-1967	18-11-1967	-
III	(क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड	11-06-1975	13-08-1980	26-12-1980	9 फरवरी, 1979 से एक व्यक्ति के अधिकरणों के रूप में परिवर्तित।
	(ख) गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	06-02-1976	13-08-1980	20-07-1981	
IV	श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	17-07-1985	30-05-1989	31-08-1989	-
V	श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्ड	02-09-1994	25-07-2000	05-12-2000 और 15-12-2000	-

5. पिछले वेतन बोर्ड, अर्थात् मणिसाना वेतन बोर्ड का गठन 2 सितम्बर, 1994 को किया गया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 25 जुलाई, 2000 को प्रस्तुत की थी। सरकार ने मणिसाना वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं स्वीकार कर ली और दिनांक 5.12.2000 तथा 15.12.2000 की अधिसूचनाओं द्वारा मामूली संशोधनों के साथ उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित कर दिया । अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत वेतन बोर्ड की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

6. सामाचार पत्र कर्मचारी संघ नए सिरे से वेतन बोर्ड गठित करने की मांग करते रहे हैं क्योंकि पिछले वेतन बोर्ड के गठन के पश्चात् 10 वर्ष से भी अधिक अवधि बीत चुकी है तथा उनका मानना है कि पिछले वेतन बोर्ड में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के कारण समाचार पत्र क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति पर ध्यान नहीं दिया था।

7. हालांकि श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में वेतन बोर्डों के गठन की अवधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यह महसूस किया गया है कि नए सिरे से वेतन बोर्ड गठित करने के लिए उपयुक्त समय है क्योंकि पिछले वेतन बोर्डों के गठन से 10 वर्ष से भी अधिक अवधि बीत चुकी है।

8. मंत्रिमंडल ने 18.12.2006 को आयोजित अपनी बैठक में श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13 ग के अंतर्गत दो वेतन बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तथा दूसरा गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए, गठित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। वेतन बोर्डों को सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया गया है।

9. दिनांक 24 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या वी-24040/3/2004-डब्ल्यू बी के द्वारा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डाक्टर न्यायमूर्ति के. नारायण कुरूप की अध्यक्षता में वर्तमान वेतन बोर्ड गठित किए गए हैं। श्री के.एम.साहनी, पूर्व सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को वेतन बोर्डों के पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वेतन बोर्डों ने दिल्ली से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। दोनों वेतन बोर्डों का संघटन संगत अधिसूचनाओं में दिया गया है।

****